सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 76 /सो.आ.नि.–3/494/2020
दिनाँक: 02 ~~अप्रैल~~ मई, 2022

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अर्न्तगत सोशल आडिट में पाई गई कमियों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुरूपयोग की गई धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक–21/सो.आ.नि./3/494/2020 दिनांक 05–04–2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत सोशल आडिट सम्पन्न करने हेतु इस निदेशालय से कैलेण्डर निर्गत किया जाता है जिसके क्रम में जिलाधिकारी स्तर से विकास खण्डवार सोशल आडिट टीमों को ग्राम पंचायतों का आवंटन एवं सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने हेतु प्रत्येक टीम के साथ एक BSAC/BRP को लगाते हुए सोशल आडिट कार्य सम्पन्न करने के निर्देश दिए जाते है एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न कराने हेतु एक जिला स्तरीय अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जाता है, जिससे ग्राम सभा की बैठक सुव्यवस्थित रूप से हो सके।

1– सोशल आडिट की बैठक के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को 15 कार्यदिवसों के अन्दर एम0आई0एस0 पर अपलोड करने की व्यवस्था है तथा रिपोर्ट अपलोड होने के एक माह के अन्दर पाई गई कमियों के सम्बन्ध में कार्यक्रम अधिकारी स्तर से एक्शन टेकेन रिपोर्ट ऑनलाइन फीड किया जाना अपेक्षित है। विकास खण्ड की समस्त ग्राम पंचायत की सोशल आडिट पूर्ण हो जाने के उपरान्त विकास खण्ड स्तरीय जनसुनवाई (Exit Conference) की व्यवस्था है। कतिपय जनपदों द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि विकास खण्ड स्तरीय जनसुनवाई के उपरान्त ग्राम सभा बैठक में पाई गई कमियों को एम0आई0एस0 पर अपलोड किया जाना चाहिए जो उचित नहीं है। विकास खण्ड स्तरीय जन सुनवाई का उद्देश्य सोशल आडिट टीम/बी0आर0पी0 एवं योजना क्रियान्वयन से जुड़े कार्मिकों की उपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सोशल आडिट में पाई गई कमियों के ए0टी0आर0 को गति प्रदान किया जाना है तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकास खण्ड स्तरीय जन सुनवाई में वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों को निक्षेपित न किया जाए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि सोशल आडिट ग्राम सभा द्वारा की जाती है अस्तु ग्राम सभा द्वारा सोशल आडिट बैठक में लिए गए निर्णयों का एम0आई0एस0 पर अंकन यथावत किया जाना है तथा उसके सापेक्ष की गई कार्यवाही का विवरण अनुपालन आख्या (ए0टी0आर0) के रूप में अंकित किया जाना है।

2– यह संज्ञान में आया है कि सोशल आडिट में पाई गई कमियों पर ए0टी0आर0 अपलोड करने का कार्य DSAC/BSAC से सम्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, जो उचित नहीं है। यह कार्य कार्यक्रम अधिकारी स्तर से उनकी लॉगिन से सम्पन्न किया जाना अपेक्षित है।

3– वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में निदेशालय के संलग्न पत्र सं0 21/सो.आ.नि.–3/494/2020 दिनांक 05–04–2022 के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही हेतु अवगत कराया जा चुका है:–

- If the user selects any options containing "Request to Close", then an ATR (Order/FIR/Letter/Reports etc.) is to be uploaded in pdf.
- The upload of ATR is mandatory. This ATR would be reviewed by the SAU in order to consider and CLOSE an issue.

शासनादेश 1641/अडतीस–7–19–324 नरेगा/2012टीसी–1 दिनांक 12–07–2019 के अनुसार कार्यवाही हो जाने के पश्चात् यदि किसी प्रकरण में दुरूपयोग की धनराशि वसूल न किए जाने एवं प्रकरण को निक्षेपित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है ऐसे प्रकरणों में ड्रॉप इश्यू के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही की जानी है जिसके सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निम्नवत् सूचित किया गया है:–

"The drop issue does not remove the Financial Misappropriation amount reported by SAU, but it marks the case as dropped; and since the case is dropped, there is no need to recover the amount. Hence, the final amount recoverable is NIL and also the recovered amount is NIL.

Further, in no case the Financial Misappropriation amount reported by SAU (issue amount) will be removed from record, hence that will always be reflected in Column No. 4 in report R9.2.6."

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

2/5/22

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

पत्रांक– /सो0आ0नि0–3/494/2021 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3– समस्त जिला विकास अधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 21 /सो.आ.नि.–3/494/2020

दिनाँक: 05 अप्रैल, 2022

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा),
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व मेरठ को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सोशल आडिट में पाई गई कमियों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुरूपयोग की गई धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– 352 दिनांक 30–06–2011 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लेखा परीक्षा नियमावली 2011 की व्यवस्था की गयी है। इस नियमावली में जिला कार्यक्रम समन्वयक को सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा गबन की गयी धनराशि या अनुचित उपयोग की गयी धनराशि की वसूली हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

2– अवगत कराना है कि सोशल आडिट सम्पन्न होने के पश्चात सोशल आडिट प्रतिवेदनों को वेबसाइट www.nrega.nic.in पर अपलोड किया जाता है तथा पायी गयी कमियों को आवश्यकतानुसार पीओ/डीपीसी/राज्य स्तर को फारवर्ड किया जाता है। इस संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या– एम–11015/4/2018– आरई–III (361686) दिनांक 21–06–18 द्वारा आडिट प्रतिवेदन अपलोड किये जाने के एक माह के अन्दर कार्यान्वयन विभाग द्वारा ए0टी0आर0 अपलोड किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

3– सोशल आडिट के ए0टी0आर0 अपलोडिंग में वित्तीय दुरूपयोग के प्रकरणों की संलग्न रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि कुल प्रतिवेदित 9775 प्रकरणों के सापेक्ष कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्तर से 2535 प्रकरणों में आडिट आपत्तियों की निस्तारण आख्या अपलोड की गई है जो समस्त प्रतिवेदित प्रकरणों के सापेक्ष 26 प्रतिशत है। इस कार्य में जनपद इटावा, कासगंज व सुल्तानपुर की प्रगति शून्य है। सम्बन्धित जिलाधिकारी कृपया प्रतिवेदित प्रकरणों की अनुपालन आख्या अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

4– जनपद अम्बेडकरनगर, बस्ती, बहराइच, बुलन्दशहर, बलिया, गोरखपुर, झांसी, कानपुर देहात, कुशीनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहांपुर व सोनभद्र में अनुपालन आख्याओं की अपलोडिंग प्रदेश औसत से कम है। अस्तु इन जनपदों में अनुपालन आख्याओं की अपलोडिंग में अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

अपलोड किए गए प्रतिवेदनों की गुणवत्ता सन्तोषजनक न होने के फलस्वरूप निस्तारण में समस्याः—

5— संलग्न रिपोर्ट के कालम 5 में प्रदर्शित जिन 2535 प्रकरणों की अनुपालन आख्याओं की अपलोडिंग की गई है उनके सापेक्ष मात्र 18 प्रतिशत प्रकरणों को वसूली योग्य बताया गया है, इनमें से अधिकांश आख्या गुणदोष के आधार पर न होकर सरसरी तौर पर तैयार की गई है जिन्हें सार्थक एवं साक्ष्य समर्थित होना आवश्यक है। अवगत कराना है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर से विकास खण्डवार प्रकरणों के निस्तारण हेतु नई व्यवस्था एम0आई0एस0 पर उपलब्ध कराई गई है, जो निम्न प्रकार हैः—

- If the user selects any options containing "Request to Close", then an ATR (Order/FIR/Letter/Reports etc.) is to be uploaded in pdf.
- The upload of ATR is mandatory. This ATR would be reviewed by the SAU in order to consider and CLOSE an issue.

अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि शासनादेश सं0 12/2019/1641/अडतीस—7—19—324नरेगा/2012 टीसी—1 दिनांक 12—07—2019 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार वित्तीय दुरूपयोग के प्रकरणों में खण्ड विकास अधिकारी से आख्या प्राप्त कर उपायुक्त (मनरेगा) एवं मुख्य विकास अधिकारी स्तर से समुचित परीक्षण कराते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर से अन्तिम निर्णय लेने के उपरान्त निस्तारण आख्याएं अपलोड की जाये, जिससे प्रकरणों के क्लोजर की कार्यवाही कराई जा सके।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

5/4/22

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक— 21 /सो0आ0नि0—3/494/2022 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2— अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक